



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052023-245768
CG-DL-E-09052023-245768

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]
No. 277]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2023/वैशाख 19, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2023/VAISAKHA 19, 1945

वस्त्र मंत्रालय

(विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प))

(राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 347(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, (कनिष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम 1994 को, जहाँ तक उनका संबंध बुनकर ग्रेड-1 से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प) में बुनकर ग्रेड-1 पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प), राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, बुनकर ग्रेड-1 (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं, आदि** — उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बुनकर ग्रेड-1	*02 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट की जा सकती है।) टिप्पण: आयु—सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित होगी।	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वस्त्र प्रौद्योगिकी या हथकरघा प्रौद्योगिकी या हथकरघा और वस्त्र प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा। टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

(8)	(9)	(10)	(11)
<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।</p>
<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण: सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा— केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (रु 29200-92300) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वस्त्र प्रौद्योगिकी या हथकरघा प्रौद्योगिकी या हथकरघा और वस्त्र प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संगठन में बुनाई के लिए प्रारंभिक प्रक्रियाओं सहित विभिन्न प्रकार के कपड़ों और डिजाइनों की करघा सेटिंग और बुनाई में दो साल का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1:— केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। टिप्पण 2:— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) — अध्यक्ष (ii) निदेशक (हस्तशिल्प) — सदस्य (iii) मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 02/24/2022—एनसीएम और एचकेए (कंप्यूटर संख्या 45137)]

शुभ्रा, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

MINISTRY OF TEXTILES

[Office of the Development Commissioner (Handicrafts)]

(NATIONAL HANDICRAFTS AND HANDLOOMS MUSEUM)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2023

G.S.R. 347(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Handicrafts and Handlooms Museum (Junior Accountant) Recruitment Rules 1994 in so far as it relates to the post of Weaver Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Weaver Grade-I in the office of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handlooms), National Handicrafts and Handlooms Museum, namely :-

1. Short title and commencement . -(a) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Weaver Grade-I (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay level in pay matrix. —The number of said post, its classification, and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.--Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.--Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Weaver Grade-I	*02 (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the Pay Matrix (Rs.35,400 – 1,12,400/-)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: Three years Diploma in Textile Technology or Handloom Technology or Handloom and Textile Technology from a recognised University or Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.
8	9	10	11
Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	Deputation (including short-term contract) or absorption, failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertakings or University or recognised research institutes:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-5 of the pay matrix Rs 29,200-92,300 or equivalent in the parent cadre or department and; (b) possessing the following educational qualifications and experience :- 1. three Years Diploma in Textile Technology or Handloom Technology or

			<p>Handloom and Textile Technology from a recognised University or Institute.</p> <p>2. two years experience in loom setting and weaving of different types of fabrics and designs including preparatory processes for weaving in a recognized organization.</p> <p>Note 1: Only Officers of Central Government or State Government or Union Territories shall be eligible to be considered for appointment in absorption basis.</p> <p>Standard Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Senior Director (Museum) - Chairman; (ii) Director(Handicrafts) - Member; (iii) Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 02/24/2022-NCM&HKA (Computer No. 45137)]

SHUBHRA, Development Commissioner (Handicrafts)